जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

डिस्कॉम्स की वीडियों कॉन्फ्रेंस आयोजित

फीडर व डीटी के अनुसार कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग एवं सत्यापन का कार्य 31 मार्च तक पूरा करे– प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा

जयपुर, 23 जनवरी। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष डिस्कॉम्स श्री नरेश पाल गंगवार ने बुधवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत वितरण निगमों में चल रहे फीडर व डीटी अनुसार कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग के कार्य को 31 मार्च, 2019 पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। वीडियों कॉन्फ्रेंस में तीनों डिस्कॉम प्रबन्ध निदेशक, उच्चाधिकारियों से लेकर फीडर इंचार्ज सहित 23 हजार अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्री गंगवार ने वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फीडर इंचार्ज सहित सभी अधिकारियों से फीडर व डीटी अनुसार कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग के कार्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 1 अप्रेल, 2019 से एनर्जी ऑडिट व लॉसेज की गणना आईटी आधारित रेवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि फीडर व डीटी के अनुसार प्रभावी एनर्जी ऑडिटिंग के लिए फीडर व डीटी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता की सही इंडेक्सिंग होनी आवश्यक है। इसके लिए फीडर इंचार्ज रीडिंग लेते समय ही फीडर व डीटी अनुसार कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग का शत–प्रतिशत सत्यापन करेगें और गलत इंडेक्सिंग को ठीक कराकर उसे सिस्टम में दर्ज कराएगें। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता भी शत–प्रतिशत सत्यापन कर अधिशाषी अभियन्ता को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगें। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा भी प्रत्येक सब–डिवीजन के एक फीडर का रेण्डम आधार पर सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन प्रमाण पत्रों को अधीक्षण अभियन्ता को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत करने होगें।

फीडर व डीटी अनुसार कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग कार्य के लिए डिस्कॉम के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसके अनुसार जयपुर डिस्कॉम को 28 फरवरी तथा अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम को 15 मार्च तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है एवं 31 मार्च तक समस्त स्तर पर सत्यापन कार्य पूर्ण कर सर्किल अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए जाने हैं।

सौ फीसदी फीडर व डीटी अनुसार कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग का कार्य पूरा होने के बाद उपभोक्ता किस फीडर व डीटी से सम्बन्धित है इसका तुरन्त पता लग जाएगा और जब भी वह शिकायत दर्ज करवाएगा तो सिस्टम द्वारा तुरन्त पता लगने पर उसका शीघ्र निस्तारण हो सकेगा। इसके साथ ही वास्तविक बिजली छीजत की सही जानकारी होने से अधिक छीजत को कम किया जा सकेगा।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 863/2019